न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प जानियाना

पीठासीन अधिकारी :– श्री भागीरथ राम, आर.ए.एस.

मुकदमा नंबर 189/18

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थी
1. हड़मानाराम पुत्र नगाराम 2. रूपाराम पुत्र नगाराम 3. किशनाराम पुत्र नगाराम जातियान चौधरी सा0 जानियाना		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा

<u>प्रार्थना पत्र अर्न्तगत 251 ए आर. टी. ए.</u>

<u>निर्णय</u>

उपस्थित दिनांक: 11.5.2018

प्रार्थी:– हड़मानराम

प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है। कि ग्राम जानियाना के खेत खसरा नम्बर 301 रकबा 49.05 बीघा बारानी दोयम मे आवागमन व कृषि उपयोग हेतु नया रास्ता घोषित करवाने की स्वीकृति हेतु नक्शा परिशिष्ट "अ" मे बरंगलाल मे अपने खेत ख0 न0 301 तक खसरा नं0 485/304 रकबा 12.03 बीघा मे से रास्ता 15 फीट चौड़ा कटाण जानियाना से लूणीनदी के किनारे तक जाने वाला कटाण रास्ते से प्रार्थीगण के खेत खसरा 301 तक आवागमन एवं उपयोग हेतु नया रास्ता घोषित करना चाहते है। जिसकी स्वीकृति प्रदान करावे।

प्रार्थना पत्र के तथ्यो की जांच पटवारी हल्का से करवाई गई पटवारी हल्का ने जांच कर मौका फर्द व नकशा ट्रेस पेश किया नक्शा ट्रेस मे खसरा नम्बर 485/304 मे से होकर खसरा नम्बर 277 किस्म गैरमुमकिन रास्ते मे जाकर मिलता है। जो कटाण रास्ता है। वा ख0 न0 301 मे पहुचने के लिये सबसे नजदीक दूरी का यही रास्ता है। परिशिष्ट "अ" के अनुसार खसरा नम्बर 485/304 के दक्षिण भाग पर प्रस्तावित किया गया है। जो आवागमन हेतु सुलभ है। जिसकी डी एल सी दर 27810/– प्रतिबीघा से है। जिसकी दुगनी राशि रूपये 44496/– बनती है।

हमने दोना पक्षो को सुना तथा मजमे आम मे पूछताछ कर चर्चा की गई रास्ता घोषित करने मे कोई आपती एतराज नही हुआ। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्याय संगत होने से स्वीकार किया जाता है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर मौजा जानियाना के ख0न0 485/304 रकबा 12.03 बीघा मे से 15 फीट चौड़ा रास्ते का रकबा 0.16 बीघा भूमि परिशिष्ट "अ" मे बरंगलाल दर्शाये गये स्थान पर नया रास्ता घोषित किया जाता है। परिशिष्ट "अ" निर्णय का भाग रहेगा। प्रार्थीगण डी एल सी दर 27810/– प्रतिबीघा से रास्ते की प्रस्तावित भूमि की दो गुणा राशि रूपये 44496/– तहसीलदार पचपदरा के कार्यालय मे जमा करावे। उक्त राशि प्रार्थीगण जमा कराने के बाद राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी व नक्शा मे रास्ते कि प्रविष्टिया अकित कर उक्त रकबा रास्ते के रूप मे खातौनी मे विप्रार्थी सं. 1 के खाते मे से कम किया जाकर रास्ते का रकबा राज्य सरकार के नाम दर्ज किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 11.5.2018 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैम्प जानियाना खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भागीरथ राम)
सहायक कलक्टर
बालोतरा

भागीरथ राम
पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कोर्ट कैम्प-2018
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
बालोतरा कैम्प.. जानियाना

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Scanned by CamScanner